अध्याय–IV: मोटर वाहनों पर कर

4.1 कर प्रशासन

राज्य में मोटर वाहनों के करों का संग्रहण परिवहन विभाग द्वारा किया जाता है, जिसके प्रधान राज्य परिवहन आयुक्त होते हैं। मुख्यालय में दो संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्त, उनके कार्य संपादन में सहयोग करते हैं। राज्य को नौ क्षेत्रों एवं 38 जिलों में बाँटा गया है जिन पर क्रमशः क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव एवं जिला परिवहन पदाधिकारियों का नियंत्रण रहता है। उन्हें राजस्व के संग्रहण हेतु मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा सहायता की जाती है।

4.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2005–06 से 2009–10 के दौरान बजट आकलन तथा मोटर वाहनों पर कर से प्राप्त वास्तविक प्राप्तियों के साथ–साथ उसी अवधि के दौरान कुल कर प्राप्तियों के बीच भिन्नता नीचे दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता वृद्धि (+) / ह्रास (–)	भिन्नता की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक कर प्राप्तियों की प्रतिशतता
2005–06	310.00	302.44	(–) 7.56	(–) 2.44	3,561.10	8.49
2006–07	350.00	181.38	(–)168.62	(–) 48.18	4,033.08	4.50
2007–08	375.00	273.21	(–) 101.79	(–) 27.14	5,085.53	5.37
2008–09	256.60	297.74	(+) 41.14	(+) 16.03	6,172.74	4.82
2009–10	355.00	345.13	(–) 9.87	(–) 2.78	8,089.67	4.27

उपर्युक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2006–07, 2008–09 एवं 2009–10 के दौरान राज्य की कुल प्राप्तियों के विरूद्ध मोटर वाहनों पर कर से प्राप्तियों की प्रतिशतता में पूर्व के वर्ष से कमी हुई।

मोटर वाहनों पर कर की आकलित प्राप्तियाँ तथा कुल कर प्राप्तियों के साथ–साथ प्राप्तियों की प्रवृत्ति निम्न ग्राफ में दिया गया है:

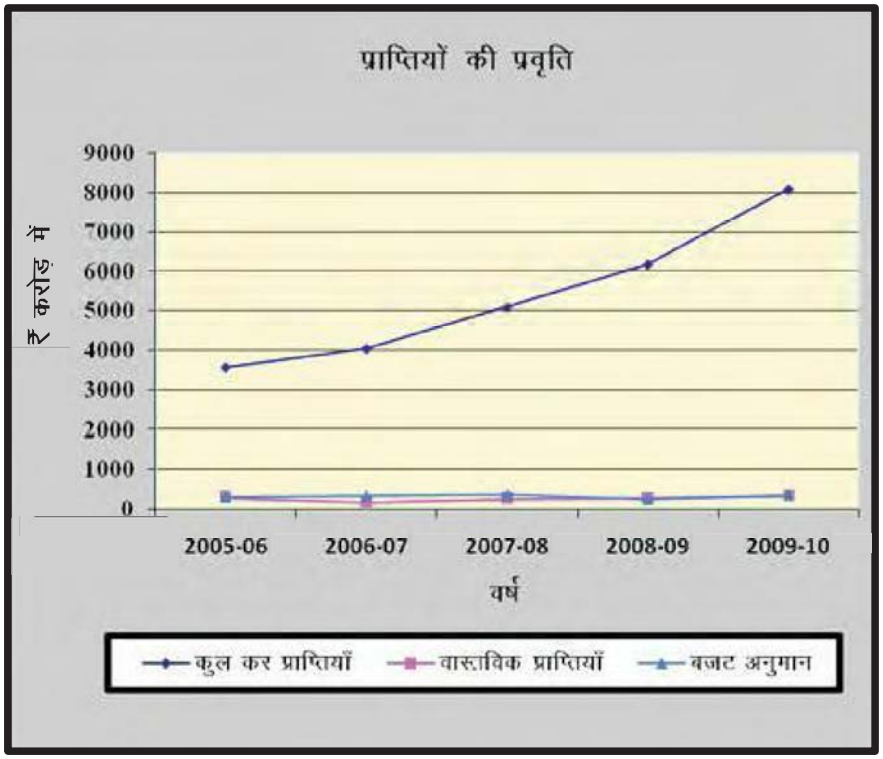

वर्ष 2009–10 के दौरान राज्य की कुल कर प्राप्तियों (₹ 8,089.67 करोड़) में मोटर वाहनों पर प्राप्तियों का योगदान निम्न चार्ट दर्शाता है:

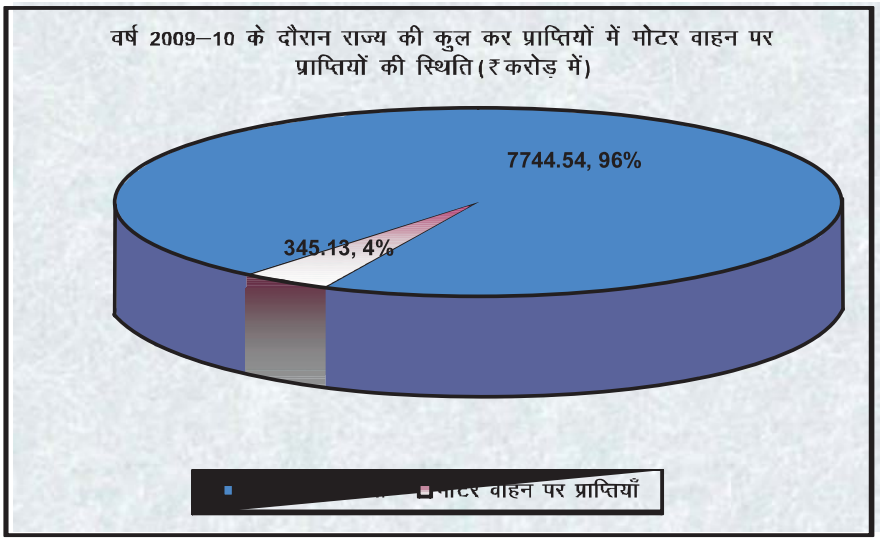

4.3 संग्रहण की लागत

मोटर वाहनों पर कर प्राप्तियों का सकल संग्रहण, उस संग्रहण पर किया गया व्यय तथा वर्ष 2007–08 से 2009–10 के दौरान सकल संग्रहण पर ऐसे व्यय की प्रतिशतता के साथ–साथ संबंधित विगत वर्षों के लिए सकल संग्रहण पर व्यय से संबंधित अखिल भारतीय औसत की प्रतिशतता नीचे दर्शाई गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	विगत वर्ष के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
2007–08	273.21	5.96	2.18	2.47
2008–09	297.74	6.95	2.33	2.58
2009–10	345.13	10.41	3.02	2.93

उपर्युक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2009–10 के दौरान, संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2008–09 के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से अधिक था।

सरकार को आवश्यकता है कि आने वाले वर्षों में संग्रहण की लागत की प्रतिशतता को अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से नीचे रखने हेतु उचित कदम उठाए।

4.4 लेखापरीक्षा का प्रभाव

राजस्व का प्रभाव

वर्ष 2004–05 से 2008–09 की अवधि के दौरान, हमने अपनी निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से राजस्व का आरोपण नहीं/कम किये जाने, अवनिर्धारण/हानि इत्यादि के 918 मामले, जिसमें ₹ 653.99 करोड़ के राजस्व शामिल थे, इंगित किए। इसमें से विभाग/सरकार ने ₹ 308 करोड़ से सन्निहित 577 मामलों के लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया एवं मात्र ₹ 1.52 करोड़ करोड़ की वसूली की। विस्तृत विवरणी निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखापरीक्षित ईकाइयों की संख्या	आपति किए गए		स्वीकार किए गए		वसूल किए गए	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
2004–05	28	274	116.67	09	26.54	4	0.17
2005–06	42	53	198.42	27	13.99	1	0.01 लाख
2006–07	47	172	41.63	116	28.49	शून्य	शून्य
2007–08	47	201	141.29	215	142.94	5	0.37
2008–09	46	218	155.98	210	96.04	4	0.98
कुल	**210**	**918**	**653.99**	**577**	**308.00**	**14**	**1.52**

स्वीकृत मामलों में सन्निहित ₹ 308 करोड़ के विरूद्ध ₹ 1.52 करोड़ (0.49 प्रतिशत) के सरकारी बकायों की कम वसूली किया जाना, सरकार/विभाग की ओर से तत्परता का अभाव संसूचित करता है।

हम अनुशंसा करते हैं कि सन्निहित राशि, कम से कम स्वीकृत मामलों में, की वसूली हेतु सरकार उपयुक्त कदम उठायें।

4.5 आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध की कार्यप्रणाली

आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, जिसे वित्त (लेखापरीक्षा) कहा जाता है, वित्त विभाग के अंतर्गत कार्य करता है तथा सरकार के विभिन्न कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रशासनिक विभाग द्वारा प्राप्त अधियाचना के आधार पर किया जाता है।

वित्त (लेखापरीक्षा) की लेखापरीक्षा दल में तीन सदस्य होते हैं, जिसमें एक दल का प्रमुख होता है। लेखापरीक्षा हेतु अधियाचना की मात्रा को ध्यान में रखते हुए मुख्यालय/प्रमंडलीय कार्यालयों से लेखापरीक्षा दल हेतु कर्मियों को लिया जाता है। विभाग ने लेखापरीक्षा की जाने वाली कार्यालयों की संख्या, किये गये लेखापरीक्षा की संख्या, निर्गत अवलोकनों की संख्या तथा सन्निहित राशि से संबंधित सूचनाएँ हमें उपलब्ध नहीं कराया।

4.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2009–10 की अवधि के दौरान मोटर वाहनों पर कर से संबंधित 38 ईकाइयों के अभिलेखों की हमारी नमूना जाँच से, ₹ 253.13 करोड़ से सन्निहित 310 मामलों में कर के अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1.	करों का आरोपण नहीं/कम किया जाना	52	39.77
2.	योग्यता प्रमाणपत्र का अनियमित निर्गमन	12	7.26
3.	व्यापार कर की वसूली नहीं/कम किया जाना	28	2.87
4.	अभ्यर्पण में संलग्न वाहनों से कर की वसूली नहीं किया जाना	16	2.02
5.	अन्य मामले	202	201.21
कुल		**310**	**253.13**

वर्ष के दौरान, विभाग ने 295 मामलों में अंतर्निहित ₹ 201.23 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 199.67 करोड़ से सन्निहित 286 मामले वर्ष 2009–10 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे।

दृष्टान्तस्वरूप कुछ मामले, जिनमें ₹ 20.96 करोड़ अंतर्निहित है, निम्नलिखित कंडिकाओं में वर्णित हैं।

4.7 लेखापरीक्षा अवलोकन

राज्य परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की हमारी संवीक्षा में अधिनियम, नियमों एवं विभाग के आदेशों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किए जाने का पता चला, जैसा कि इस अध्याय के अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है। ये मामले दृष्टान्तस्वरूप तथा हमारे द्वारा किए गए नमूना जाँच पर आधारित है। विभागीय प्राधिकारियों द्वारा हुए इन त्रुटियों को हमलोग प्रत्येक वर्ष इंगित करते रहे हैं, परंतु अनियमितताएँ न केवल निरंतर होती रही बल्कि लेखापरीक्षा किये जाने तक इसका पता नहीं लगाया गया। यह आवश्यक है कि सरकार आंतरिक नियंत्रण पद्धति में सुधार लाए ताकि ऐसी त्रुटियों को रोका जा सके।

4.8 मोटर वाहन करों की वसूली नहीं किया जाना

छब्बीस[1] जिला परिवहन कार्यालय

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 5 एवं 9 के अंतर्गत मोटर वाहन कर का भुगतान उस कर अधिकारी को किया जाना है, जिनके क्षेत्राधिकार में वाहन नियत तिथि को निबंधित हुआ है। आवास/ व्यवसाय में परिवर्तन होने के मामले में वाहन मालिक पूर्व के कर अधिकारी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्रस्तुति के साथ नये कर अधिकारी को कर का भुगतान कर सकता है। पुनः कर अधिकारी वाहन मालिक को कर के भुगतान से छुट दे सकता है, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि वाहन मालिक द्वारा निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति कर दी गई है। जिला परिवहन पदाधिकारियों को समय पर करों की वसूली सुनिश्चित करने हेतु माँग पत्र निर्गत करना आवश्यक है और माँग पत्र का जवाब नही मिलने की स्थिति में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के अनुसार नीलामवाद कार्यवाही शुरू की जानी है। पुनः बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 के नियम 4(1) के अंतर्गत कर के भुगतान हेतु नियत तिथि, उस अवधि की समाप्ति की तिथि होगी जिसके लिए व्यक्तिगत वाहनों को छोड़कर, वाहन–कर का अंतिम भुगतान कर दिया गया था। 90 दिनों से भी अधिक समय तक कर का भुगतान नहीं किये जाने पर नियमावली के नियम 4(2) के साथ पठित धारा 23, जैसाकि विहित है, के अंतर्गत दिये गये प्रावधान के अनुसार, बकाया कर के 200 प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड लगाया जाना है।

जून 2009 और मार्च 2010 की अवधि के बीच कराधान पंजियो की जाँच से हमने पाया कि यद्यपि 751 परिवहन मालिकों ने जुलाई 2002 एवं जून 2009 के बीच की अवधि से संबंधित ₹ 6.51 करोड़ के करों का भुगतान नियत तिथि के भीतर नहीं किया था फिर भी जिला परिवहन पदाधिकारियों ने दोषी परिवहन मालिको से करो के बकाये की वसूली की दिशा में किसी कार्रवाई की पहल नहीं की थी। इनमें से किसी भी मामले में वाहन मालिकों के पता में परिवर्तन या करों के भुगतान से छूट प्राप्ति हेतु दस्तावेजों का समर्पण अभिलेखों में नहीं पाया गया। इसके फलस्वरूप ₹ 13.01 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 19.52 करोड़ के कर की वसूली नहीं हुई।

[1] अररिया, औरंगाबाद, बेगुसराय, बेतिया, भभुआ, बक्सर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सीवान तथा वैशाली।

हमलोगों के इंगित किये जाने के पश्चात, 23[2] जिला परिवहन पदाधिकारियों ने जून 2009 और मार्च 2010 के बीच कहा कि माँग पत्र निर्गत की जायेगी, जबकि तीन[3] जिला परिवहन पदाधिकारियों ने कहा कि बकाये की वसूली के लिए कार्रवाई की जायेगी।

मामले सरकार को नवम्बर 2009 और अप्रैल 2010 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतिक्षित हैं (दिसम्बर 2010)।

4.9 मोटर वाहनों के व्यवसायियों से व्यापार कर की नहीं/कम वसूली

चार[4] जिला परिवहन कार्यालय

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 6 तथा उनके तहत् बने नियमों के अंतर्गत मोटर वाहन के निर्माता या व्यवसायी को अपने व्यापार के क्रम में अपने अधिकार में रखे गये मोटर वाहनों के लिए एक व्यवसायी/निर्माता के रूप में, करों का निर्धारित वार्षिक दर पर भुगतान करना होगा। नियत तिथि के भीतर करों का भुगतान नहीं करने पर बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 के नियम 4 (2) के साथ पठित धारा 23, जैसाकि विहित है, के तहत् वर्णित प्रावधान के अनुसार बकाये करों के 25 से 200 प्रतिशत के बीच अर्थदण्ड का विधान है। पुनः, राज्य परिवहन आयुक्त ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को करों की वसूली और व्यापार प्रमाणपत्र के नवीनीकरण हेतु कानूनी कार्रवाई प्रारम्भ करने का निदेश दिया।

हमने जनवरी और मार्च 2010 के बीच पाया कि मोटर वाहनों के दस व्यवसायियों ने वर्ष 2004–05 से 2008–09 की अवधि के बीच अपने अधिकार में रखे गये 34,413 वाहनों (8,320 दो पहिया और 26,093 तीन/चार पहियों वाली) से संबंधित व्यापार कर या तो निर्धारित दर पर जमा नहीं किया अथवा कम किया। जिला परिवहन पदाधिकारियों ने भी दोषी व्यवसायियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। इसके फलस्वरूप ₹ 49.11 लाख के अर्थदण्ड सहित ₹ 73.66 लाख के व्यापार कर की वसूली नहीं/कम हुई।

हमलोगों के इंगित किये जाने के पश्चात् तीन[5] जिला परिवहन पदाधिकारियों ने जनवरी और मार्च 2010 के बीच कहा कि माँग पत्र निर्गत कर दी जायेगी जबकि बेगुसराय के जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि नियमों के अनुसार वसूली हेतु कार्रवाई की जायेगी।

मामले सरकार को मार्च एवं अप्रैल 2010 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतिक्षित हैं (दिसम्बर 2010)।

---

2 अररिया, औरंगाबाद, बेतिया, भभुआ, बक्सर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और सीवान।

3 बेगुसराय, सहरसा और वैशाली।

4 बेगुसराय, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया।

5 मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया।

4.10 योग्यता प्रमाणपत्र का अनियमित निर्गमन

तीन[6] जिला परिवहन कार्यालय

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 73 के अंतर्गत किसी परिवहन वाहन के लिए योग्यता प्रमाणपत्र तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक वाहन मालिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में कर भुगतान का प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर लेता है। मान्नीय पटना उच्च न्यायालय[#] के न्याय निर्णय के अनुसार टैक्स टोकन, जो कर के भुगतान का साक्ष्य है, योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक है। पुनः, राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के द्वारा दिनांक 13 अप्रैल 1994 को निर्गत निदेश के अनुसार मोटर वाहन निरीक्षकों को ऐसे परिवहन वाहनों को योग्यता प्रमाणपत्र देने/नवीनीकरण हेतु प्रतिबंधित किया गया है जिसका कर भुगतान नहीं किया गया है तथा प्रवर्त्तन स्कंध द्वारा ऐसे योग्यता प्रमाणपत्र को जब्त करने के अलावे भूल करने वाले मोटर वाहन निरीक्षको के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।

हमने अक्टूबर 2009 और मार्च 2010 के बीच जिला परिवहन कार्यालयों के योग्यता प्रमाणपत्र पंजियों में प्रविष्टियों का, कराधान पंजियो की प्रविष्टियों के साथ तिर्यक जाँच के दौरान पाया कि करों का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित किये बगैर 14 परिवहन वाहनों को योग्यता प्रमाणपत्र निर्गत कर दिया गया था। पुनः, हमने पाया कि प्रवर्त्तन स्कंध ने विभाग को इन मामलों के संबंध में कभी इंगित नही किया। यह अत्यंत अनियमित था क्योंकि इन वाहनों को बिना समुचित निरीक्षण के चलाना जन–जीवन और संपत्ति की क्षति से समझौता करना था। यह भूल न केवल नियमों और राज्य परिवहन आयुक्त के आदेश का उल्लघंन था, बल्कि इसके फलस्वरूप अप्रैल 2004 और जून 2009 की अवधि में ₹ 36.51 लाख के अर्थदण्ड सहित ₹ 54.76 लाख के कर की वसूली नहीं हुई।

हमलोगों के इंगित किये जाने के बाद संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने अक्टूबर 2009 और मार्च 2010 के बीच कहा कि इसके अनुपालन हेतु संबंधित मोटर वाहन निरीक्षकों को मामले संदर्भित किये जायेगें।

मामले सरकार को मार्च एवं अप्रैल 2010 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतिक्षित हैं (दिसम्बर 2010)।

6 मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया।

पटना जिला ट्रक संघ बनाम बिहार सरकार 1993 (1) पी.एल.जे.आर. 211।

4.11 परिवहन वाहन चलाने के लाइसेंस का अनियमित निर्गमन

चार[7] जिला परिवहन कार्यालय

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 9 के तहत् लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी मोटर चलाने का लाइसेंस वैसे आवेदक को प्रदान करेगें जिसके पास ऐसी श्रेणी के वाहन को चलाने के लिए उस श्रेणी का लर्नर्स लाइसेंस हो और उसने वाहन को चलाने के लिए दक्षता जाँच उर्त्तीण की हो। पुनः, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 10 के साथ पठित धारा 7(1), जैसा कि विहित है, के अनुसार किसी भी व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने के लिए लर्नर्स लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास न्यूनतम एक वर्ष के लिए हल्के मोटर वाहन को चलाने का लाइसेंस न हो।

हमने नवम्बर 2009 और मार्च 2010 के बीच व्यावसायिक मोटर चलाने के लाइसेंस पंजियों से देखा कि वर्ष 2008–09 के दौरान 7,498 व्यावसायिक वाहन लाइसेंस वैसे आवेदकों को स्वीकृत किये गये थे जिनके पास हल्के वाहन चलाने का लाइसेंस नहीं था। इस भूल से न केवल अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन के फलस्वरूप ड्राइभिंग लाइसेंस प्रदान करने हेतु वसूलनीय फीस के रूप में ₹ 15.75 लाख के सरकारी राजस्व की हानि हुई, बल्कि इसमें सड़क सुरक्षा के मुद्दे भी शामिल थे।

हमलोगों के इंगित किये जाने के पश्चात् जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना ने कहा कि इस राशि की वसूली लाइसेंस के नवीनीकरण के समय कर ली जायेगी, जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णिया ने कहा कि सूचना निर्गत की जायेगी जबकि जिला परिवहन पदाधिकारी, गया और मुजफ्फरपुर ने कहा कि निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

मामले सरकार को मार्च और अप्रैल 2010 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतिक्षित हैं (दिसम्बर 2010)।

[7] गया, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया।